



**प्रेस-नोट थाना खजनी दिनांक 01-08-2021**

**चोरी के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार**



वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के दिशा निर्देश में अभियान के तहत व पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी खजनी के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक खजनी के नेतृत्व में दिनांक 31/07/2021 को उ०नि० संजय सिंह मय हमराह कां० रंजीत सोनी, कां० कमल शुक्ल देखभाल क्षेत्र शान्ति व्यवस्था तलाश वाछित वारण्टी चेकिंग सदिग्ध व्यक्ति तहसील खजनी के पास मौजूद थे कि जरिए मुखबिर खास सूचना मिली की दो संदिग्ध व्यक्ति भरोहिया मंदिर के पास खड़े हैं सम्भवतः ग्राम भरोहिया की चोरी में इनका हाथ है यदि पकड़ ले तो चोरी खुल सकती है इस सूचना पुलिस टीम द्वारा भरोहिया मंदिर के पास पहुंचकर उपरोक्त व्यक्ति को पकड़ लिया गया पकड़े गये व्यक्ति से उनका नाम पूछा गया तो पहले नें अपना नाम गंगा सागर पुत्र रामगोविन्द निवासी ग्राम भरोहिया थाना खजनी जनपद गोरखपुर व दूसरे ने विनोद पुत्र रामसुधारे निवासी ग्राम भरोहिया थाना खजनी, जनपद गोरखपुर बताया ग्राम भरबलिया में चोरी हुए सामान के बारे में पूछताछ किया गया तो इंकार करने लगे कड़ाई व हिकमत अमली से पूछताछ किया गया तो गलती की माफी मांगते हुए कहने लगे कि जो भरबलिया हम लोग सामान चोरी किये थे वह पास की झाड़ी में छुपाये हुए है बताये गये स्थान पर पहुँचकर देखा गया तो चोरी गये सामान मिले जिसका मु०अ०सं० 207/21 धारा 457, 380 भादवि से सम्बन्धित सामान का मिलान कराया गया तो हूबहू मिला जिसके आधार पर धारा 457, 380, 411 भादवि का दण्डनीय अपराध पाकर समय करीब 21.15 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

1. गंगा सागर पुत्र रामगोविन्द निवासी ग्राम भरोहिया थाना खजनी जनपद गोरखपुर
2. विनोद पुत्र रामसुधारे निवासी ग्राम भरोहिया थाना खजनी, जनपद गोरखपुर

**बरामदगी -**

1. एक अदद कर्पेशर मशीन
2. लकड़ी काटने वाली विद्युत आरी
3. आरी
4. हथौड़ी
5. पेंचकस
6. फर्नीचर बनाने से सम्बन्ध अन्य छोटे बड़े औजार

**पंजीकृत अभियोग-**

1. मु०अ०सं० 207/21 धारा 457, 380, 411 भादवि

**गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी व कर्मचारीगण का नाम -**

1. उ०नि०श्री संजय सिंह
2. कां० रंजीत सोनी
3. कां० कमल शुक्ल